भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel
CHIEF MINISTER

मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़
फोन: +91 (771) 2221000, 2221001
ई–मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001
E-mail : cmcg@nic.in

Do.No. 1130 Date : 15/05/2020

आदरणीय प्रधान मंत्रीजी,

कोविड–19 के नियंत्रण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में छत्तीसगढ़ ने अपना योगदान बखूबी दिया है। संक्रमण पर नियंत्रण के साथ–साथ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के काम में भी केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों का निरंतर सहयोग हमारी सरकार कर रही है। 11 मई को आपके और मुख्य मंत्रीगण की विडियो कांफ्रेस में हुई चर्चा अनुसार 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के उपरान्त आगे की रणनीति के लिए हमारे सुझाव इस प्रकार हैं:–

1. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में आवश्यक के साथ–साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। वाहनों की बिक्री करने वाले समस्त प्रकार के शोरूम एवं वर्कशाप संचालन की अनुमति हो।
2. समस्त प्रकार के ई–कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है।
3. होटल व्यवसाय को फिजिकल डिस्टेंस के पालन की शर्तों के तहत केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमति दी जा सकती है। होटलों में संचालित रेस्टोरेंट, बार, स्पा इत्यादि को अभी अनुमति न दी जाये।
4. व्यक्तिगत रूप से सेवाएं देने वाले सभी प्रकार के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री इत्यादि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए साथ ही उनको अपने टूल्स, उपकरण एवं अन्य सामग्री के लिए दुकान संचालन की भी अनुमति देनी चाहिए।
5. नगरीय क्षेत्रों में भी समस्त प्रकार के निर्माण कार्य हेतु अनुमति फिजिकल डिस्टेंस के पालन की शर्त पर देनी चाहिए। इसके लिए श्रमिकों की परिवहन की व्यवस्था के लिए पास की अनुमति होना अनिवार्य किया जा सकता है।
6. राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन एवं ग्रीन जोन में वर्गीकृत करने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करे।

Scanned with CamScanner

7. अन्तर्राज्यीय सीमाओं को अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। अन्तर्राज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य श्रेणीयों के व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। इन व्यक्तियों के आने की सूचना राज्यों के बीच साझा की जानी चाहिए ताकि क्वारेंटीन सहित अन्य आवश्यक उपाय किए जा सकें। गैर आवश्यक अन्तर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना फिलहाल आवश्यक है। केवल अत्यावश्यक कारणों से अनुमति सहित परिवहन होना चाहिए।
8. श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने केवल संबंधित राज्यों की सहमति से ही चलाई जानी चाहिए।
9. वायु मार्ग से व्यक्तियों का परिवहन केवल फंसे हुए व्यक्तियों के लिए होना चाहिए। सामान्य एवं गैर आवश्यक कारणों से आने–जाने की अनुमति अभी दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।
10. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखा जाना उपयुक्त होगा।

प्रथम चरण के लॉकडाउन उपरान्त धीरे–धीरे विभिन्न प्रकार की छूट भारत सरकार द्वारा दी गई है। साथ ही बड़ी संख्या में अन्य कोरोना संक्रमण प्रभावित प्रदेशों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में पुनः संक्रमण के फैलने की आशंका है। अतः आगामी कुछ माह में सावधानी के साथ अन्तर्राज्यीय सीमाएं खोलना उपयुक्त नहीं होगा। इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध है। राज्यों को सशक्त करने से निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में उनकी क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। केन्द्र शासन एवं अन्य राज्य सरकारों के सहयोग के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार हैं।

सादर

भवदीय

(भूपेश बघेल)

प्रति

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल,
नई दिल्ली – 110011

Scanned with CamScanner